विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 87

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2011-2012 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2011-2012 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2012-2013 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	1120.55	24.31	1144.86	1400.00	26.92	1426.92	1350.00	26.70	1376.70	1485.00	15.39	1500.39
	पूंजी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	**1120.55**	**24.31**	**1144.86**	**1400.00**	**26.92**	**1426.92**	**1350.00**	**26.70**	**1376.70**	**1485.00**	**15.39**	**1500.39**
1. सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	3451	...	12.31	12.31	...	14.67	14.67	...	14.45	14.45	...	15.39	15.39
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान													
2. स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थाएं	3425	330.27	2.00	332.27	376.10	2.25	378.35	368.26	2.25	370.51	455.00	...	455.00
3. *अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता*													
3.01 मानव संसाधन विकास	3425	54.58	...	54.58	63.00	...	63.00	70.00	...	70.00	75.00	...	75.00
3.02 जैव सूचना विज्ञान	3425	26.70	...	26.70	27.00	...	27.00	27.00	...	27.00	30.00	...	30.00
3.03 अनुसंधान एवं विकास	3425	437.37	...	437.37	418.90	...	418.90	420.00	...	420.00	420.00	...	420.00
3.04 सामाजिक विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी	3425	8.68	...	8.68	15.00	...	15.00	13.00	...	13.00	13.00	...	13.00
3.05 महाचुनौती कार्यक्रम	3425	64.74	...	64.74	59.00	...	59.00	54.00	...	54.00	60.00	...	60.00
3.06 उत्कृष्टता और नई खोज के संवर्धन संबंधी कार्यक्रम	3425	51.00	...	51.00	54.00	...	54.00	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00
3.07 जैव प्रौद्योगिकी सुविधाएं	3425	30.00	...	30.00	36.00	...	36.00	46.00	...	46.00	50.00	...	50.00
जोड़- अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता		*673.07*	*...*	*673.07*	*672.90*	*...*	*672.90*	*685.00*	*...*	*685.00*	*703.00*	*...*	*703.00*
4. *आई एंड एम सेक्टर*													
4.01 टेक्नोलाजी इन्क्यूबेटर्स, पायलट परियोजनाओं, जैव प्रौद्योगिकी पार्को तथा जैव प्रौद्योगिकी विकास निधि के लिए सहायता	3425	5.06	...	5.06	20.00	...	20.00	12.00	...	12.00	...	...	...
4.02 सरकारी निजी भागीदारी	3425	87.46	...	87.46	158.00	...	158.00	118.74	...	118.74	139.00	...	139.00
जोड़- आई एंड एम सेक्टर		*92.52*	*...*	*92.52*	*178.00*	*...*	*178.00*	*130.74*	*...*	*130.74*	*139.00*	*...*	*139.00*
5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	3425	24.69	...	24.69	33.00	...	33.00	31.00	...	31.00	39.50	...	39.50
6. अंतर्राष्ट्रीय अनुवांशिकी इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र	3425	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	...	...
7. *पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों हेतु प्रावधान*													

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
7.01 मानव संसाधन विकास	2552	...	...	...	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	10.00	...	10.00
7.02 उत्कृष्ठता और नई खोज के संवर्धन संबंधी कार्यक्रम	2552	...	...	...	6.00	...	6.00	...	...	...	10.00	...	10.00
7.03 जैव प्रौद्योगिकी सुविधाएं	2552	...	...	...	4.00	...	4.00	14.81	...	14.81	10.00	...	10.00
7.04 जैव सूचना विज्ञान	2552	...	...	...	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00
7.05 अनुसंधान एवं विकास	2552	...	...	...	81.10	...	81.10	81.10	...	81.10	80.00	...	80.00
7.06 महाचुनौती कार्यक्रम	2552	...	...	...	6.00	...	6.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
7.07 सामाजिक विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी	2552	...	...	...	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	2.00	...	2.00
7.08 स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थाओं को सहायता	2552	...	...	...	23.90	...	23.90	18.90	...	18.90	25.00	...	25.00
7.09 आई एंड एम सेक्टर	2552	...	...	...	2.00	...	2.00	...	...	...	1.00	...	1.00
7.10 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2552	...	...	...	2.00	...	2.00	0.19	...	0.19	0.50	...	0.50
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों हेतु प्रावधान		...	...	...	*140.00*	...	*140.00*	*135.00*	...	*135.00*	*148.50*	...	*148.50*
कुल जोड़		***1120.55***	***24.31***	***1144.86***	***1400.00***	***26.92***	***1426.92***	***1350.00***	***26.70***	***1376.70***	***1485.00***	***15.39***	***1500.39***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	1120.55	...	1120.55	1260.00	...	1260.00	1215.00	...	1215.00	1336.50	...	1336.50
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	140.00	...	140.00	135.00	...	135.00	148.50	...	148.50
जोड़		**1120.55**	**...**	**1120.55**	**1400.00**	**...**	**1400.00**	**1350.00**	**...**	**1350.00**	**1485.00**	**...**	**1485.00**

1. **सचिवालय - आर्थिक सेवाएं:** जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) विभाग के सचिवालय संबंधी खर्च प्रदान करती है।

2. **स्वायत्तशासी अनुसंधान एवं विकास संस्थान:** इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 14 स्वायत्तशासी संस्थान हैं जिनके लिए सहायता दी जा रही है। ये संस्थान इस प्रकार हैं:-

(1) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान (एनआईआई), नई दिल्ली

(2) राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे

(3) डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र (सीडीएफडी), हैदराबाद

(4) राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र (एनबीआरसी), मानेसर

(5) राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान (एनआईपीजीआर), नई दिल्ली

(6) जैवसंसाधन तथा सतत विकास संस्थान (आईबीएसडी), इंम्फाल

(7) जीवविज्ञान संस्थान (आईएलएस), भुवनेश्वर

(8) ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद

(9) राजीव गांधी जैवप्रौद्योगिकी केंद्र (आरजीसीबी), तिरुवनन्तपुरम

(10) यूनेस्को जैवप्रौद्योगिकी शिक्षण और प्रशिक्षण क्षेत्रीय केंद्र, फरीदाबाद

(11) राष्ट्रीय कृषि खाद्यान्न जैवप्रौद्योगिकी संस्थान और जैवप्रसंस्करण एकक, मोहाली

(12) स्टेम कोशिका अनुसंधान एवं संजीवनी औषध संस्थान, बैंगलूरु

(13) राष्ट्रीय जैव चिकित्सीय जीनोमिकी संस्थान (एनआईबीएमजी) कल्याणी, पश्चिम बंगाल

(14) राष्ट्रीय पशु जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद

3. **अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता:** मानव संसाधन विकास (एचआरडी) - रिक्त क्षेत्रों में नए पोस्ट ग्रेजुएट एम.एससी./एम.टेक शिक्षण कार्यक्रम; स्टार कॉलेज योजना, फैलोशिप और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम; जैवप्रौद्योगिकी लोकप्रियकरण की सभी क्रियाकलाप।

जैव सूचना विज्ञान - बीटीआईएस-नेट क्रियाकलापों को जारी रखा जाएगा; हाई थ्रूपुट जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स क्रियाकलापों को चलाने के लिए जैवसूचना विज्ञान सेवा एककों की स्थापना की जाएगी; मिशन मोड अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ; नई नेटवर्क परियोजनाएँ और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ शुरू की जाएँगी।

अनुसंधान और विकास - निम्नलिखित क्षेत्रों की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को जारी रखा जाएगाः-

क) कृषि जैवप्रौद्योगिकी; ख) जैवसंसाधन विकास एवं उपयोग; ग) मूलभूत अनुसंधान और उभरते क्षेत्र; घ) चिकित्सा जैवप्रौद्योगिकी; ड.) टीका अनुसंधान एवं विकास; च) मानव आनुवंशिकी एवं जीनोमिकी; छ) पर्यावरण जैवप्रौद्योगिकी; ज) पशु जैवप्रौद्योगिकी; झ) जलकृषि एवं समुद्री जैवप्रौद्योगिकी; ञ) नैनो जैवप्रौद्योगिकी; ट) स्टेम कोशिका अनुसंधान; ठ) जैव अभियांत्रिकी; ड) खाद्य एवं पोषण विज्ञान और प्रौद्योगिकी; ढ) जैवप्रक्रिया और स्तरोन्नयन जैवप्रौद्योगिकी; ण) जैवसुरक्षा अनुसंधान और त) पुर्नप्रवेश अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ।

महाचुनौती कार्यक्रम - टीकों, सूक्ष्मजैविक पूर्वेक्षण, सुरक्षित गर्भावस्था के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मेटाबोलिक रोग - पूर्वानुमान, निदान, उपचार; खाद्य सुरक्षा के लिए आणविक उत्पादन, जलवायु परिवर्तन और कृषि उत्पादकता संबंधी चल रहे महाचुनौती कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा और सुदृढ़ किया जाएगा।

उत्कृष्टता के संवर्धन हेतु कार्यक्रम - मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी और प्राप्त संकेतों पर रूपांतरकारी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्रवाई की जाएगी; जीवन विज्ञान और जैवप्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय महत्व की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में और विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में प्रौद्योगिकी प्रबंधन क्षमता को सहायता देने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

जैवप्रौद्योगिकी सुविधाएँ - बिल्डर कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख सेवा सुविधाओं और विश्वविद्यालयों को सहायता देना जारी रखा जाएगा; आईसीएआर के सहयोग से अनुसंधान और शिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए एग्री-बिल्डर कार्यक्रम को विकसित एवं क्रियान्वित किया जाएगा; और जैविक रिएजेंट अनुसंधान एवं विकास और उत्पादन संबंधी कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएँगे।

4. **आई एंड एम क्षेत्र:** इसके अंतर्गत जो योजनाएँ हैं वे हैं : लघु व्यवसाय नवीन अनुसंधान पहल (एसबीआईआरआई); जैवप्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारी कार्यक्रम (बीआईपीपी); जैवप्रौद्योगिकी औद्योगिकी पार्कों को सहायता देना और एसबीआईआरआई और बीआईपीपी योजनाओं के अतिरिक्त उद्योग नवाचार निधिकरण योजनाओं को विस्तार देना।

5. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग:** सहयोग के व्यापक क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास, कृषि और खाद्यान्न, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, आण्विक जीवविज्ञान, जैवसूचनाविज्ञान और कम्प्यूटेशनल जीवविज्ञान, औद्योगिक सहयोग शामिल होंगे। सिस्टम बायोलॉजी, स्टेम कोशिका अनुसंधान एवं टीका और नैदानिकी के क्षेत्रों में देश की क्षमता को और अधिक सुदृढ़ किए जाने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चल रहे कार्यक्रमों के अतिरिक्त, फिनलैंड, कनाडा, जर्मनी, नार्वे , यूके और नीदरलैंड तथा अन्य विकासशील देशों के साथ नई परियोजनाएं शुरु की जाएंगी। जलवायु परिवर्तन पर नया बल देते हुए जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-स्विट्ज़रलैंड कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा।

6. **अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिक अभियांत्रिकी एवं जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र (आईसीजीईबी):** आईसीजीईबी, नई दिल्ली के लिए डीबीटी की सहायता अगले 5 वर्षों तक जारी रहेगी। वर्ष के दौरान आईसीजीईबी ने मानव स्वास्थ्य और कृषि जैवप्रोद्योगिकी के क्षेत्र में मूलभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान पर अपनी गतिविधियों को जारी रखा।

7. **उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं का प्रावधान:** उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से अनेक परियोजनाओं/योजनाओं के लिए आवश्यक प्रावधान रखे गए हैं जिसमें अन्य क्षेत्रों के सार्वजनिक क्षेत्रक के संस्थानों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्रक के सहयोग एवं भागीदारी से उत्तर-पूर्वी अंचलों के प्राथमिक क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास, जैव प्रौद्योगिकी अवसंरचना और अनुसंधान एवं विकास शामिल होंगे। पहले से वित्तपोषित परियोजनाओं को जारी रखा जाएगा और मानव संसाधन विकास, पशु-चिकित्सा/कृषि कालेजों में सुविधाएं बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम और शेष देश में विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की भागीदारी से प्रमुख संयुक्त परियोजनाएँ आरंभ की जाएंगी।